INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP02019731642638V

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP02019731642638V
Certificate Issued Date	:	30-Aug-2023 04:40 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14232604/ SAIDPUR/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14232604996184710893 86V
Purchased by	:	SHRI RAJARAM SHIKSHA A V T ICHAVAL RAMPUR GHAZIPUR
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SACHIV PRAVIDHIK SHIKSHA PARISHAD LUCKNOW UP
Second Party	:	SHRI RAJARAM SHIKSHA A V T ICHAVAL RAMPUR GHAZIPUR
Stamp Duty Paid By	:	SHRI RAJARAM SHIKSHA A V T ICHAVAL RAMPUR GHAZIPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

No. 631
Date 30/08/023

NOTARY
Saidpur-Ghazipur

NOTARIAL NOTARIAL

Signature
ACC Name : Anil Kumar Singh Yadav
ACC Code - UP14232604
ACC Add - Saidpur-Ghazipur
Mob: ... L.No. 60
Tehsil- Saidpur-Dis.-Ghazipur

Please write or type below this line

Statutory Alert

(प्रारूप–"अ")

हम **हरिनाथ यादव** एवं **अनिल कुमार सिंह यादव** क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव **श्री राजाराम शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट, ग्राम– ईचवल, पोस्ट – रामपुर, जिला– गाजीपुर** शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं –

1. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा **आर.आर.एस. कालेज आफ नर्सिंग एण्ड फार्मेसी, ग्राम – चाँदपुर, पोस्ट– सिंगारपुर, जिला– गाजीपुर** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट के नाम **मौजा चाँदपुर** में गाटा संख्या.**704च/0.049हे0, 704छसं0/0.049हे0, 704ड.सं0/0.016हे0, 705/0.0825हे0** रकबा **0.1965 हे0** एवं मौजा गहिरा में गाटा सं0 **591** , रकबा **0.635हे0** हेक्टेयर (कुल रकबा. **0.8315**.हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का काई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या.**704च/0.049हे0, 704छसं0/ 0.049हे0, 704ड.सं0/0.016हे0, 705/0.0825हे0** रकबा **0.1965 हे0** एवं मौजा गहिरा में गाटा सं0 **591** , रकबा **0.635** हेक्टेयर (कुल रकबा. **0.8315**.हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी/ ट्रस्ट की बैठक दिनांक **05.01.2020** द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण, अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पतेपर सोसायटी/ ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/ विद्यालय/ महाविद्यालय/ आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी/ ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभाँति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एव सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।
13. मै घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निरजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष